तत्काल

महत्वपूर्ण / अनुस्मारक–2

प्रेषक,

नोडल अधिकारी डास्प,
मत्स्य विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त सहायक निदेशक मत्स्य /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
मत्स्य पालक विकास अभिकरण, (उ0प्र0)
जनपद.................................... ।

पत्रांक : / डास्प– II / D-146 / 2013–14, दिनांक: 27 जून, 2013

विषयः **योजना के द्वितीय चरण में अवशेष धनराशि मुख्यालय को अंतरण कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया इस कार्यालय पत्र संख्याः 162 / डास्प– II / डी–146 / 2012–13, दिनाँकः 04.06.2013 एवं पत्र संख्याः 165 / डास्प– II / D-146 / 2013–14, दिनांकः 12 जून, 2013 परियोजना समन्वयक, उ0प्र0 कृषि विविधीकरण कार्यालय पत्र संख्या– 411 / डास्प / 2012–13, दिनांक 27.05.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र द्वारा डास्प योजना द्वितीय चरण की सम्पूर्ण अवशेष कार्ययोजना अंश की धनराशि मय व्याज सहित पत्र प्राप्ति के तुरन्त पी0आई0यू0, मत्स्य कें खाते में अंतरित करने के निर्देश दिए गए थे, परन्तु खेद का विषय है कि धनराशि अभी तक नहीं अंतरित कराई गई।

डास्प योजनान्तर्गत 32 जनपदों के परियोजना अंश की धनराशि के अतिरिक्त 38 जनपदों को पी0आई0यू0, मत्स्य से ट्रेनिंग मद में यात्रा–भत्ता की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी, वे भी उक्त मद की अवशेष धनराशि मय ब्याज सहित तत्काल पी0आई0यू0, मत्स्य को चेक / ड्रफ्ट अथवा डास्प के **खाता संख्याः 1853000100113029 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा – इन्दिरानगर, लखनऊ** में अंतरित कराते हुए पी0आई0यू0 को लिखित रूप से सूचित करें।

आप द्वारा उक्त धनराशि पी0आई0यू0 को वापस न किये जाने की दशा में अपेक्षित धनराशि पी0सी0यू0 को समर्पित नहीं की जा सकी है, जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं।

भवदीय,

(एस0के0 सिंह)
नोडल अधिकारी (डास्प),
मत्स्य विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक : 169 / डास्प– II / D-146 / 2012–13, दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वेब मास्टर को सूचना अपलोड एवं संबंधित को एस0एम0एस0 कराने हेतु।
2. सम्बन्धित उप निदेशक मत्स्य, ... ।
3. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, ... ।
4. महाप्रबन्धक (वित्त) डास्प, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
5. निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ को अवलोकनार्थ।

(एस0के0 सिंह)
नोडल अधिकारी (डास्प),
मत्स्य विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
26/6

D-146